Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

No. HQ/PIO/RTI/283/13 **Date: 28.01.2014**

Sh. Vijayanand ,
S/o Late Devi Sahay,
Village- Khamhaila,
Tehsil & Par.- Derapur,
Dist.-Kanpur Dehat,
Pin-209302.

Sub: Information under RTI Act – 2005
Ref: Your application dt. 11.11.2013, received on 13.12.2013.

संबंधित विभाग से प्राप्त मदवार सूचना निम्न प्रकार है:–

मद्–1 एंव 2 :–

ग्राम– खम्हैला, तह0–डेरापुर, जिला–कानपुर देहात, गाटा सं0 1828 में श्री विजयानन्द कुल 0. 0720हे0 रकबा ही प्रभावित हो रहा हैं तथा उसी का कब्जा भी परियोजना द्वारा लिया जा रहा हैं। जिसका अभिनिर्णय दिनांक 08.02.2010 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया था तथा तद्‌नुसार प्रतिकर का भुगतान भी आप को किया जा चुका हैं। अतः आप का कथन असत्य प्रतीत होता हैं। परन्तु आप के अनुसार उसका 1800वर्ग मी0 रकबा प्रभावित हो रहा हैं। इस पर यदि आप असन्तुष्ट है तो आप संयुक्त जांच हेतु आवेदन कर सकते हैं। रेलवे लाइन से सटी हुई भूमि की माप अभिलेखीय मानचित्र के आधार पर सामान्यतः पुरानी रेलवे लाइन अर्थात् अप ट्रैक के सन्दर्भ से की जाती हैं। आप की अधिग्रहीत की गई भूमि से अधिक भूमि पर परियोजना द्वारा कब्जा नहीं लिया जायेगा।

मद्–3 गाटा सं0 1828 में श्री विजयानन्द कुल 0.0720हे0 रकबा प्रभावित हो रहा हैं। जिसका अभिनिर्णय दिनांक 08.02.2010 को घोषित किया गया था। भूमि के प्रतिकर का भुगतान रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के आधार पर, ग्राम में अर्जित की गयी अधिकृत भूमि के मुआवजे की दर संबंधित सर्किल रेट एंव पिछले तीन साल के रजिस्ट्री रेट के आधार जो भी अधिकतम है उसको सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार किया गया है। यदि आप भूमि के प्रतिकर से संतुष्ट नही हैं तो आप आर्बिट्रेटर महोदय के समक्ष रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20एफ (IV) के अर्न्तगत आवेदन कर सकते हैं। गजट नोटिफिकेशन सं0 . **S.O. 1679(E) dated 14th July 2010** के अर्न्तगत आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया हैं।

29/1
DESPATCH

मद्–4 आप के अनुसार आप की भूमि पर बिजली का खम्मा (रेलवे की हाईटेन्शन लाईन का खम्मा) डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 परियोजना के कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व का लगा हुआ इसके सम्बन्ध में आप उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद मण्डल के मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, इलाहाबाद में वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता से सम्पर्क कर सकते हैं। आप की परिसम्पतियों के प्रभावित होने या न होने सम्बन्धी विषय में यदि आप असन्तुष्ट हैं तो आप संयुक्त जाच हेतु आवेदन कर सकते हैं।

मद्–5 Sh. V.K. Verma, Appellate Authority, DFCCIL, 5th Floor, Metro Station Building Complex, Pragati Maidan, New Delhi-110001.

मद्–6 उत्तर आवश्यक नहीं हैं।

(Rajiv Bhatnagar)
DGM/ RTI

Copy to:

1. CPM/Kanpur
2. AGM/LA